

**न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।  
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.**

**पंचायत निगरानी संख्या :- 05/2013**

**प्रार्थी -**

- 1- रामचन्द्र पुत्र श्री बद्रीदास साद  
निवासी: ग्राम मोगड़ा कलां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

**बनाम**

**अप्रार्थी -**

1. ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां, जरिये सरपंच, तहसील लूणी।
2. सावलराम पुत्र श्री कानाराम पटेल।
3. रूगनाथराम पुत्र कानाराम पटेल निवासी मोगड़ाकलां त0 लूणी जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा विलेख सं. 17 जो पत्रावली सं. 17/99-2000 में ग्राम पंचायत मोगड़ाकलां द्वारा कार्यवाही करते हुए दि0 05.12.1999 को जारी किया गया।

**उपस्थिति : -**

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री एस.एम.परिहार व चन्द्रशेखर सिहाग उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति।
3. अप्रार्थी सं. 3 बावजूद इतला तामिल नोटिस अनुपस्थित।

—:: आ दे श ::—

दिनांक: 21.05.2018

यह पंचायत निगरानी इस न्यायालय में विचाराधीन रिव्यू प्रार्थना-पत्र संख्या 12/2015 निर्णय दिनांक 07.10.2016 स्वीकार किये जाने के कारण निगरानी पुनः नम्बर पर ली जाकर व उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकश्री सुगनमल परिहार ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए प्रस्तुत पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में सम्बंधित नियमों की कोई पालना नहीं की है।

ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा नियम 157 ख के तहत जारी किया गया है उक्त नियम के तहत पट्टा केवल 50 वर्ष पूर्व निर्मित रहवासीय मकान का ही जारी किया जा सकता है। इस प्रकरण में जारी पट्टा के मामले में जो पट्टा जारी किया गया है उस पर कोई मकान बना हुआ नहीं है बल्कि, खाली भूखण्ड है।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि सरपंच ने अप्रार्थी गण के नाम पट्टा जारी कर पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। 1766.1875 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा केवल मात्र 200/- में जारी कर दिया जो नियम विरुद्ध है। उक्त भूखण्ड केवल निलामी के जरिये ही हस्तांतरित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को पट्टा जारी करने में कोई नियमों की पालना नहीं की। तमाम कार्यवाही मेकेनिकल तरीका अख्तियार करते हुए की गई है तथा कार्यालय में बैठकर छपे छपाये फार्मों पर खानापूर्ति की गई है, जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है।

निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण का विवाद ग्रस्त भूखण्ड पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा तथा आज दिन भी नहीं है। बिना कब्जे के कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। हाल ही में अप्रार्थीगण ने उक्त भूखण्ड पर दुकानों का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस मामले में अप्रार्थीगण 2 व 3 की रिश्तेदारी में बाद में ग्राम पंचायत की सरपंच बनने पर रेकॉर्ड में भारी कांट छांट की गई। मूल पट्टा केवल सावलराम के नाम जारी किया गया, उसमें भी रूगनाथ का नाम बाद में जोड़ दिया गया। पट्टा जारी करने सम्बंधी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली में जगह-2 कांट छांट की गई है। मूल प्रार्थनापत्र केवल सावलराम द्वारा पेश किया गया था तथा पट्टा भी उसी के नाम जारी किया गया था, परन्तु बाद में खाली जगह देखकर रूगनाथ का नाम दर्ज कर दिया गया जो गम्भीर अनियमितता है, पट्टा निरस्त करने योग्य है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा उसमें बाद में दक्षिण पश्चिम की तरफ एक 12फुट रास्ता मूल पट्टे में काट छांट करते हुए दिखा दिया गया जबकि पहले ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाया हुआ है। पट्टा जारी करने से पूर्व जो रिपोर्ट मंगाई गई उसमें भी मौके पर किसी तरफ का कोई निर्माण होने की रिपोर्ट नहीं की एवं कोई भी आपत्ति पत्र विधिवत जारी नहीं किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में अनियमितता बरती है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा निरस्त किये जाने योग्य होना बताया। प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तुत निगरानी में सुनवाई करते हुए पंचायतीराज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/नियमों के तहत ही निर्णय पारित किया जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा नियम 157(2) में क्षेत्रफल सीमा के प्रावधान 2004 में जोड़े गए जबकि पट्टा वर्ष 1999 में जारी किया गया। उक्त तथ्य प्रस्तुत निगरानी में लागू नहीं होते हैं।

अप्रार्थी सं. 2 व 3 के योग्य अभिभाषकश्री हनुमान प्रजापति ने बहस शुरू करते हुए कथन किया कि प्रार्थी रामचन्द्र पुत्रश्री बद्रीदास जाति साद निवासी मोगड़ा कला को यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीगण को जारी पट्टा, पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपना कर ही नियमानुसार पट्टा विलेख जारी किया है। अप्रार्थीगण द्वारा विधिवतरूप से ग्राम पंचायत के समक्ष पुराने गृह विनियमितिकरण के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत ने अपनी बैठक कार्यवाही में प्रस्ताव पारित कर मौका निरीक्षण करवाया, आपत्ति हेतु नोटिस भी जारी किया गया। निर्धारित अवधि में एतराज प्राप्त नहीं होने पर शुल्क लेकर अप्रार्थीगण को पट्टाजारी किया गया। इसमें ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की और नियमों की पालना करते हुए पट्टा विलेख जारी किया गया। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य होना बताया।

यह पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा विलेख संख्या: 17 जो पत्रावली संख्या 17/99-2000 में ग्रा0 पं0 मोगड़ाकला द्वारा दिनांक: 05.02.1999 को जारी किया गया है के प्रस्तुत की गई है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त पट्टा नियम 157 ख के तहत जारी किया गया। उक्त नियम के तहत यह पट्टा 50वर्ष पूर्व निर्मित रहवासीय मकान का ही जारी किया जा सकता है। वर्तमान मामले में जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया उस पर कोई मकान बना हुआ नहीं है, मौके पर खाली भूखण्ड है। जिसका उक्त नियम के तहत पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। जिससे व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने पर पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से

अभिभाषकश्री हनुमान प्रजापति ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया जो दिनांक 05.12.1999 को किया है। उस वक्त क्षेत्रफल बाबत किसी प्रकार की कोई सीमा तय नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 2, 3 के अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान राज्य सरकार के राज पंचायती राज (प्रथम संशोधन) नियम, 2001 द्वारा अन्तःस्थापित एवं राज. राजपत्र, विशेषांक, भाग4-ग(II), दिनांक 12.11.01 में प्रकाशित। “अधिसूचना सं. एफ4(7)/पी.आर.डी./विधि/नियम/07/1166 जो राज. राजपत्र, विशेषांक भाग 4-ग(II), दिनांक 2.4.2007 को प्रकाशित द्वारा नियम 157 में उप-नियम (1) व (2) व नियम 158 के उप-नियम (2) में परन्तुक जोड़ा गया तत्पश्चात् अधिसूचना सं. एफ4(7) अमे./रूल्स/लीगल/पी.आर./2012/135 दिनांक 11.2.2013 द्वारा नियम 157 के उपनियम 1 को प्रतिस्थापित किया गया।” अतः अप्रार्थी संख्या 2, 3 को जारी पट्टा दिनांक 05.12.1999 के वक्त क्षेत्रफल बाबत किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था।

हमने उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भी अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकॉर्ड को भी देखा।

यह पंचायत निगरानी ग्राम पंचायत मोगड़ाकला द्वारा सरपंच ने अप्रार्थीगण को नियम 167 (1) के अंतर्गत पट्टा विलेख जारी किया गया। आबादी भूमि में विक्रय विलेख मिसल सं. 17/99-2000 पट्टा संख्या 17 दिनांक: 20.10.1999 के विरुद्ध पेश की गई।

पट्टे से सम्बंधित मूल रेकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 17/99-2000 की कार्यालय टिप्पणी दि. 20.08.99 का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ कि प्रार्थी रूगनाथराम का नाम अलग स्याही से जोड़ा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दलाराम पुत्र भेराराम के बयान में भी सावलराम का अंकन किया गया व रूगनाथ अलग स्याही से जोड़ा गया। भूखण्ड के मानचित्र में भी रूगनाथ का नाम अलग अंकित किया गया है।

इस प्रकार भूखण्ड के आवेदन पत्र में भी केवल सावलराम के हस्ताक्षर हैं रूगनाथराम का नाम अलग स्याही से बाद में लिखा गया है। रूगनाथ के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं है। भूमि के निरीक्षण पत्र में भूखण्ड पर मकान अंकित नहीं है तथा निरीक्षण प्रपत्र में सावलराम के साथ रूगनाथराम का नाम बाद में अलग स्याही से लिखा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पट्टा बही का अवलोकन किया मूल पट्टे पर रूगनाथराम का नाम अलग स्याही हस्त लेखन से लिखा गया है। क्रेता के रूप में भी मात्र सावलराम के हस्ताक्षर हैं रूगनाथराम के हस्ताक्षर नहीं हैं। भूखण्ड के पडौस जो अंकित किये गये उसमें पूर्व में केवलराम/बचना पुत्र भौलाराम पटेल लिखा गया था। जो स्याही के पेन से लिखा गया तथा गली शब्द बॉल पेन से बाद में लिखा जाना स्पष्ट होता है। भूखण्ड के मानचित्र में भी अपलेख कर गली बनायी गई है। अतः सभी दस्तावेजात से यह स्पष्टरूप से जाहिर होता है कि भूखण्ड की पत्रावली सावलराम पुत्र कानाराम पटेल के नाम बनी, सावलराम ही भूखण्ड का आवेदक था तथा भूखण्ड का आवंटन सावलराम के नाम किया गया। आवेदक व क्रेता के रूप में मात्र सावलराम के हस्ताक्षर हैं। इस पट्टे में रूगनाथराम का नाम व की गली का बाद में अपलेख कर अंकित किये गये हैं।

इस न्यायालय द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी से मौका स्थिति की रिपोर्ट जो ग्राम सेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत मोगड़ाकला पंचायत समिति लूणी, जोधपुर से दिनांक 12.03.2014 के द्वारा प्राप्त हुई। प्रस्तुत रिपोर्ट में यह भूमि आज भी भूखण्ड के रूप में है जिसमें आगे सावलराम की दुकानें बनी हुई है।

अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आवंटित भूखण्ड सं. 17 (पट्टा सं. 17) में कोई भी पुराना मकान स्थित नहीं है तथा भूखण्ड का आवासीय उपयोग नहीं किया जाकर व्यवसायिक (वाणिज्यिक) रूप से किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 में यह प्रावधान किया गया है कि पुराने बने हुए घरों के लिए विनियमितिकरण किया गया है न कि पुराने कब्जासुदा भूखण्डों का विनियमितिकरण इस प्रावधान के तहत नहीं किया जा सकता।

अतः ग्राम पंचायत मोगड़ाकला पंचायत समिति लूणी द्वारा श्री सावलराम पटेल को पुराने कब्जासुदा भूखण्ड का पट्टा दिया गया है वो नियम 157 (1) के प्रावधानों के विपरीत जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आवंटन के समय प्रार्थी का पुराना मकान था तथा वह उसमें रहता था। इस तथ्य की पुष्टि ग्राम सेवक मोगड़ाकला की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक: 12.03.2014 में हुई है।

### आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निगरानी पट्टा विलेख संख्या: 17, मिसल संख्या: 17/99-2000 दिनांक 20.10.1999 जो ग्राम पंचायत मोगड़ाकला द्वारा जारी किया गया एतद निरस्त किया जाता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणी को निदेश है कि न्यायालय में निर्णय की पालना सुनिश्चित करे तथा इस प्रकरण से सम्बंधित मूल रेकर्ड अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें।

पत्रावली से यह भी जाहिर हुआ कि अप्रार्थीगण का आवंटित भूखण्ड पर लम्बे समय से कब्जा है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार नियम 157 (2) वर्ष 2007 में जोड़ दिया गया है। जिसमें कब्जाधारी का अन्य आवासीय मकान ना होने की स्थिति में अधिकतम 300वर्ग गज की सीमा तक काबिज भूखण्ड के नियमन का प्रावधान किया गया है। अतः ग्राम पंचायत इस प्रावधान के अनुरूप अप्रार्थी द्वारा काबिज भूखण्ड का क्षेत्रफल अथवा 300 वर्गगज जो कम हो, के भूखण्ड का बाद जांच नियमों के अनुरूप पाये जाने पर नियम 157(2) के तहत आवंटित/नियमित करने हेतु स्वतंत्र होगी।

**(छगनलाल गोयल)**  
**अपर जिला कलक्टर (प्रथम)**  
**जोधपुर।**

निर्णय आज दिनांक: 21.05.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(छगनलाल गोयल)**  
**अपर जिला कलक्टर (प्रथम)**  
**जोधपुर।**